



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-5192266, 5192265 E-mail: modelschoolest@gmail.com



क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / 8945

दिनांक : 13/12/17

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रामाशिअ., समस्त जिले।

विषय:- पीपीपी पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्यालयों के भौतिक सत्यापन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आपके जिले के प्रस्तावित विद्यालयों के भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सम्बन्धित जिला - अध्यक्ष
2. सहायक अभियंता, रमसा, सम्बन्धित जिला - सदस्य
3. कनिष्ठ अभियंता, रमसा/एस.एस.ए., सम्बन्धित ब्लॉक - सदस्य
4. पी.ई.ई.ओ. सम्बन्धित पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) या नोडल/उप नोडल विद्यालय के प्रधानाचार्य (शहरी क्षेत्र) - सदस्य

उपरोक्त समिति अपने जिले के प्रस्तावित विद्यालयों का संलग्न प्रपत्र अनुसार भौतिक सत्यापन कर दिनांक 20.12.2017 तक रिपोर्ट परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

संलग्न :- प्रस्तावित विद्यालयों की सूची एवं प्रपत्र।

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. उपायुक्त-द्वितीय, रामाशिप., जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ., समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रस्तावित विद्यालयों अनुसार आदेश जारी कर भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।
5. सिविल शाखा, रामाशिप., जयपुर।
6. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com